

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम एवं जिला कलक्टर उदयपुर  
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.  
प्रकरण संख्या: 74/2025 (अपील सूचना का अधिकार)  
Bhagyashree Add: 15, PP Singhal Marg, Udaipur

बनाम

.....अपीलार्थियां

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय



दिनांक: 10/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329011197297200 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र के साथ कोई सूचना संलग्न नहीं हाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थिया दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9966756126 दिनांक 16.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक शीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/74/25/477-78 दिनांक 16.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्रांक 142-144 दिनांक 20.05.2025 से प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग को लिखा गया। प्रभारी अधिकारी न्याय, अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक एफ16/15(356)न्याय/सू.अ./2025/3617 दिनांक 05.06.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थिया श्रीमती भाग्यश्री द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाहे गये दस्तावेज निर्धारित अवधि में उपलब्ध करा दिये गये है, इसके अतिरिक्त इस अनुभाग में अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा अपीलार्थिया द्वारा चाही गई सूचना जरिये ऑनलाईन पत्रांक 9301945601 दिनांक 02.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। प्रथमदृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थिया की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थिया सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थिया को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी  
उदयपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थिया सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)

प्रथम अपील अधिकारी,  
सूचना का अधिकार अधि. एवं  
जिला कलक्टर, उदयपुर